न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 24/2023 बउनवानी रामसहाय माली बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिर्ट पुत्र श्री रूग्गा माली निवासी खानुपर बडौदा की ढाणी पैमापुरा तह0 गंगापुर सिटी

GCMS No-2023/65

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
19.7.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही । लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.4.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

—: प्रार्थी द्वारा रामसहाय माली द्वारा दिनांक 11.10.2022 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को माफी मंदिर की भूमि को स्टाम्प पर गैर कानूनी बैचान करने वालो के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने की शिकायत मय स्टाम्प के की गयी जिसपर कार्यवाही के लिए अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को नोटिस के साथ ही प्रार्थना पत्र व स्टाम्प विक्रय पत्र दिनांक 21.1.2008 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी गयी ओर निर्देशित किया कि प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें।

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को क्या रिपोर्ट भिजवायी गयी है। उसकी नकल दिलवायी जावे।
2. एफ.आई.आर नम्बर 29 दिनांक 18.1.2023 की नकल प्रार्थी को मिल गयी परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 21.1.2008 पर दर्ज करवायी गयी एफ.आई.आर की नकल प्रार्थी को दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./(1)/2023/13 दिनांक 6.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 8.4..2023 के बिन्दु संख्या 1,2 में चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवगत कराया कि वांछित सूचना कुल एक पृष्ठ के लिए 2/—रू शुल्क जमा करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 240 दिनांक 20.6.2023 से लिखा जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना हेतु लो[illegible]कारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा 2/—रू शुल्क जमा करवाने [illegible]ना बताया है किन्तु शुल्क जमा हुआ है अथवा नही हुआ है [illegible] संबंध में स्थिति [illegible] नही की गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित [illegible] सूचना [illegible] को 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त [illegible] के साथ अपील[illegible]लान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:38:30 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर